प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. चौकी ए.सी.बी., भीलवाडा–द्वितीय, थाना. सी.पी.एस., ए.सी.बी., जयपुर वर्ष–2022

प्र. ई. रि. स. ....50/22.......... दिनांक ....16/2/22..........

(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये :– 7 पी.सी. एक्ट 2018 (संशोधित)

(ब) अधिनियम.............. .... धारायें ....

(स) अधिनियम ....धारायें..

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....346..........समय..........6:30 P.M...........

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– मंगलवार दिनांक 12.10.2021 समय 06.50 पी.एम.

(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 08.10.2021 समय. 11:00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – पश्चिम बफासला करीब 66 कि.मी.

(ब) पता – देवरिया, पुलिस थाना रायपुर, जिला–भीलवाडा

बीट संख्या ....जरायमदेही सं..

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना..जिला..

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – श्री शम्भुलाल दमामी

(ब) पिता का नाम.... श्री प्यारचन्द दमामी

(स) जन्म तिथि /वर्ष :– 41 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..
जारी होने की जगह..

(र) व्यवसायः– व्यापार

(ल) पता– निवासी देवरिया, पुलिस थाना रायपुर, जिला भीलवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री रामकिशोर प्रजापत पुत्र श्री हरबा राम प्रजापत उम्र 31 साल, निवासी 148, मेघवालो का वास, लाई, मेडता, जिला नागौर हाल सहायक–द्वितीय फीडर अ.वि.वि.नि.लि. देवरिया, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नही ...
चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

9. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या
(अगर हो तो)

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा
कृषि उपज मंडी

विषयः– कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मै शम्भुलाल पिता प्यारचन्द दमामी निवासी देवरिया थाना रायपुर जिला भीलवाडा का निवासी हूँ। मेरी माता श्रीमति सन्तोष देवी गांव में रावले के पास रहती है। उसके साथ मेरा छोटा भाई संजय रहता है। मैं पीछे ही अलग अन्य मकान मे रहता हुँ। मेरी मां के नाम से घरेलू बिजली कनेक्शन के नंबर 110216025627 है। जिस पर 500 रूपये से एक हजार रूपये तक का दो माह का बिजली का बिल आता है। पहले के मीटर रिडिग लिखने वाले की गलती व तकनिकी खराबी से मेरे बिल की रिडिंग में काफी अन्तर आ रहा था। जिसकी बिल राशि करीब 24,000 हजार रूपये बनना वर्तमान बिल रिडर (लाईनमेन) राम किशोर प्रजापत ने कहा कि तुम मुझे 10,000 रूपये दे दो तो मैं आपकी खराब मीटर की रिपोर्ट बनाकर दे दूगा। मेरी खराब मीटर की रिपोर्ट को तुम रायपुर ए.वी.वी.एन.एल. कार्यालय में ले जाकर दे देना और 900 रू रसीद कटवा देना। अभी दो–तीन छुटटीया है। मै आपको खराब मीटर की रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 12.10.21 को दे दूगा जो आप रायपुर जाकर रसीद कटवा कर मेरे से मिल लेना। मैं राम किशोर बिल रिडर (लाईनमेन) को रिश्वत के 10,000 रूपये नही देना चाहता हुँ, ओर उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी राम किशोर जी से कोई रंजिश नही है, और ना ही कोई रूपयो का लेन–देन बकाया है। ट्रैप की कार्यवाही करवाने के लिये मैने मेरी मां व छोटे भाई संजय को सारी बात बताकर उनसे मौखिक सहमति ले ली है।

रिपोर्ट करता हुँ कार्यवाही करें।

दिनांक :– 08.10.2021

प्रार्थी
एसडी शम्भुलाल
शम्भुलाल पिता प्यारचन्द दमामी निवासी
देवरिया थाना रायपुर जिला भीलवाडा
मो.न. 99234–33603

एस डी मधुसूदन माथुर 14/10/21
एसडी प्रीतम कुमार 14/10/21

कार्यवाही पुलिस भ्रनिब्यूरो भीलवाडा द्वितीय

दिनांक 08.10.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री शम्भुलाल पुत्र श्री प्यारचन्द दमामी उम्र 41 साल निवासी देवरिया पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट मुझ पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश के समक्ष प्रस्तुत की। परिवादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरी माता श्रीमति सन्तोष देवी गांव में रावले के पास रहती है। उसके साथ मेरा छोटा भाई संजय रहता है। मैं पीछे ही अलग अन्य मकान मे रहता हुँ। मेरी मां के नाम से घरेलू बिजली कनेक्शन के नंबर 110216025627 है। जिस पर 500 रूपये से एक हजार रूपये तक का दो माह का बिजली का बिल आता है। पहले के मीटर रिडिग लिखने वाले की गलती व तकनिकी खराबी से मेरे बिल की रिडिंग में काफी अन्तर आ रहा था। जिसकी बिल राशि करीब 24,000 हजार रूपये बनना वर्तमान बिल रिडर (लाईनमेन) राम किशोर प्रजापत ने कहा कि तुम मुझे 10,000 रूपये दे दो तो मैं आपकी खराब मीटर की रिपोर्ट बनाकर दे दूगा। मेरी खराब मीटर की रिपोर्ट को तुम रायपुर ए.वी.वी.एन.एल. कार्यालय में ले जाकर दे देना और 900 रू रसीद कटवा देना। अभी दो–तीन छुटटीया है। मै आपको खराब

मीटर की रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 12.10.21 को दे दूगा जो आप रायपुर जाकर रसीद कटवा कर मेरे से मिल लेना। मैं रामकिशोर बिल रिडर (लाईनमेन) को रिश्वत के 10,000 रूपये नही देना चाहता हुँ, ओर उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी राम किशोर जी से कोई रंजिश नही है, और ना ही कोई रूपयो का लेन–देन बकाया है। ट्रैप की कार्यवाही करवाने के लिये मैने मेरी मां व छोटे भाई संजय को सारी बात बताकर उनसे मौखिक सहमति ले ली है आदि रिपोर्ट पर मन् उप पुलिस अधीक्षक शिवप्रकाश,। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय द्वारा परिवादी से दरियाफ्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मजिद दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि लेन–देन का होकर ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से मालखाने से श्री रामेश्वर लाल कानि 250 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया मेमोरी कार्ड निकलवाकर परिवादी शम्भुलाल दमामी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करना सिखा कर संचालन प्रक्रिया समझायी। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने के लिये कहा तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 12.10.2021 को आरोपी मेरे को उसकी तरफ से मीटर खराब की रिपोर्ट बनाकर देगा उसके बाद मैं ए.वि.वि.एन.एल. कार्यालय रायपुर जाकर सरकारी 900 रूपयों की रसीद कटवाकर आरोपी के पास जाउंगा, तब वह रिश्वत राशि के बारे में बातचीत करेंगा। इसलिए मैं दिनांक 12.10.2021 को रसीद कटवा कर आपको सूचना कर दूंगा आप आपके किसी कर्मचारी को वही भिजवा देना, क्योंकि मैं यहां आया तो आने जाने में समय खराब होने से उस दिन सत्यापन की कार्यवाही नही हो पायेगी जिस पर परिवादी को दिनांक 12.10.2021 को मीटर बदलने की विभागीय प्रक्रिया अनुसार कार्य हो जाने पर मुझ पुलिस उप अधीक्षक को सूचित करने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 12.10.2021 को समय 01.32 पी.एम पर परिवादी श्री शम्भुलाल ने मुझ उप पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन कर बताया कि आरोपी राम किशोर ने मीटर खराब की रिपोर्ट बनाकर आज सुबह मुझे दे दी थी। मेरे आवश्यक काम आ जाने से मैने उक्त रिपोर्ट मेरे भाई संजय को मय 900 रूपये देकर रायपुर ए.वि.वि.एन.एल कार्यालय भिजवा कर मीटर बदलवाने का नियमानुसार 900 रूपये के शुल्क की रसीद कटवा दी है, मेरा भाई रसीद कटवा कर ले आया है। आप आपके कार्यालय के किसी कर्मी को देवरिया मेरे नंबर देकर भिजवा देवे ताकि मैं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा देता हूँ। जिस पर शिवराज सिंह कानि को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर मांग सत्यापन कराने के लिये देवरिया की तरफ रवाना किया। दिनांक 12.10.2021 को समय 07.18 पी.एम. पर परिवादी श्री शम्भुलाल दमामी ने मुझ उप पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन कर बताया कि आपके निर्देशानुसार 4 बजे शिवराज जी कानि मेरे पास देवरिया गांव आ गये थे। मैने आरोपी की लोकेशन मालुम की तो वह बाहर फिल्ड में राजकार्य से गया हुआ था। थोडी देर इन्तजार के बाद मैने आरोपी को कॉल किया तो उसने कहा कि मैं शाम को 6–7 बजे तुम्हारे घर पर ही आ रहा हूँ। तुम मुझे तुम्हारे घर पर ही मिल जाना, वही बात कर लेगे। जिस पर शिवराज कानि और मै मेरे घर देवरिया पर ही इन्तजार करते रहे। करीब 6 बजकर 50 मिनिट पर आरोपी राम किशोर मेरे घर आया और बाहर से मुझे आवाज लगाई। मैंने शिवराज जी को आरोपी के घर के बाहर आ जाने के लिये कहा तो उन्होने मुझे मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड आवश्यक निर्देश देकर चालूकर सिपूर्द कर दिया, शिवराज जी कानि को मेरे घर के अन्दर ही बैठाकर मैं मेरे घर के दरवाजे पर आया, वहां पर मेरा भाई संजू भी खड़ा था जहा पर राम किशोर जी को मैने रसीद कटवा लेने की कहकर मेरे मीटर बदलने और बिल रिडिंग में हुई गलती को सही करने के संबध में बातचीत की तो उन्होने मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की, मैने कम करने की कहा तो 9,000 रूपये लेने के लिये राजी हुये। मैने दो–तीन दिन में उन्हे 9,000 रूपये की व्यवस्था कर उन्हे दे देने की बात कही। मैंने उक्त बातचीत को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर मैने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर शिवराज जी कानि को चालु हालत में दिया, जिन्होने लेकर बंद कर अपने पास रख लिया। मैं 9,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 14.10.2021 को आपके कार्यालय में आ जाउंगा। तत्पश्चात परिवादी के फोन से ही शिवराज कानि से बात की तो उसने भी परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। परिवादी को आवश्यक हिदायत की तथा कानि. शिवराज को परिवादी को वही छोडकर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। समय 09.15 पी.एम पर श्री शिवराज सिंह कानि. उपस्थित आया। कानि ने दर्ज वार्ता का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् उप पुलिस अधीक्षक को पेश कर विस्तृत हालात से अवगत कराया। कानि द्वारा पेश दर्ज वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् उप पुलिस अधीक्षक ने चालुकर सूना तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दर्जशुदा वार्ता के मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री शिवराज सिंह कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 14.10.2021 को परिवादी श्री शम्भुलाल दमामी उपस्थित आया, परिवादी ने

दरियाप्त पर दिनांक 12.10.2021 को फोन पर बताये तथ्यों की पुनः ताईद की और मीटर बदलने के लिये कटाई 900 रूपये की रसीद बुक नंबर ए 118044 नंबर 84 की फोटो प्रति पेश की रसीद प्रति को शामिल रनिंग नोट की गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज ट्रैप कार्यवाही करवा देता हूँ, मैं रिश्वत राशि 9,000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूँ, जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री मधुसुदन माथुर, कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद भीलवाडा व श्री प्रीतम कुमार स्वर्णकार, कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद भीलवाडा को तलब कर बुलाने के प्रयोजन से अवगत करवाया। परिवादी श्री शम्भुलाल दमामी की रिपोर्ट को दोनों गवाहान को पढकर सुनाया, पढाया गया व हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.10.2021 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री शिवराज सिंह कानि से निकलवा कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। गवाहान व परिवादी की मौजुदगी में फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की कार्यवाही की जाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् उप पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा से रवाना होकर देवरिया गांव पहुँचे पर आरोपी के राज कार्य से बाहर होने के कारण उस दिन ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकी। दिनांक 15.10.2021 को ट्रेप कार्यवाही का पुनः आयोजन किया गया परन्तु आरोपी के खेतो पर लगे मीटर की रिडिंग लेने में व्यस्त होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकी। दिनांक 22.10.2021 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया परन्तु आरोपी के खेतो पर लगे मीटर की रिडिंग लेने में व्यस्त होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकी। दिनांक 13.01.2022 को परिवादी श्री शम्भू लाल दमामी उपस्थित कार्यालय आया व मुझ पु.उ.अ. को बताया कि मुझे राम किशोर कल शाम को देवरिया बस स्टेण्ड पर मिला था मैने उससे बात करनी चाही तो वह मुझे देख कर बोला कि तेरा काम हो गया है तु मेरे से बात ही मत कर मेंने राम किशोर से 9,000/– रिश्वत राशि के बारे बात करनी चाही तो उसने कहा कि मुझे कोई पैसे नही चाहिये, तुम्हारा काम हो गया है, मेरे से इस बारे मे बात करने की जरूरत नही है, ना ही आईन्दा मेरे से इस बारे मे कभी बात करना। यह कह कर रामकिशोर अपनी मोटर साईकिल स्टार्ट कर वहां से चला गया, जिससे मुझे लगता है कि उसको मेरे पर शंका हो गई है, इसलिए अब वह मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नही करेगा। जिस पर स्वतंत्र गवाहान श्री मधुसुदन माथुर व श्री प्रीतम सोनी को तलब कर गवाहान व परिवादी श्री शम्भू लाल दमामी की मौजुदगी में एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा द्वितीय के मालखाना मे सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता दिनांक 12.10.2021 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैडकानि. से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.10.2021 को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री गोपाल जोशी हैडकानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से श्री गोपाल जोशी हैडकानि. की मदद से 04 सीडीयां बनाई जाकर मार्क "A" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराए जाकर 02 सीडियों को पृथक–पृथक कागज के लिफाफे में रख इन्हे सफेद कपडे की थैलियों में रख पृथ्क–पृथ्क सिल्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये व 02 अन्य सीडियों को पृथक–पृथक कागज के लिफाफे में रखी गई। इसके पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.10.2021 के मूल मेमोरी कार्ड को वजह सबूत जप्त कर सिल्ड चिट कर मार्क " M " अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। फर्द नमूना सील व नाशानी सील मुर्तिब की। परिवादी को नियमानुसार रिश्वत राशि 9,000/– रसीदन लौटाई गई।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं संपूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री रामकिशोर प्रजापत हाल सहायक–द्वितीय फीडर अ.वि.वि.नि.लि. देवरिया, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा एक लोक सेवक होते हुए परिवादी शम्भू लाल दमामी के माता श्रीमती सन्तोष देवी के नाम गांव देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में घरेलू बिजली कनेक्शन के नंबर 110216025627 की बिल राशि अधिक आने पर बिल राशि कम करने व खराब मीटर की रिपोर्ट बनाने एवं मीटर बदलने की एवज में आरोपी श्री रामकिशोर प्रजापत हाल सहायक–द्वितीय फीडर अ.वि.वि.नि.लि. देवरिया द्वारा 9000/– रूपये रिश्वत राशि की परिवादी शम्भू लाल दमामी से मांग करना प्रथम दृष्टया पाया गया। जिसकी पुष्टि दिनांक 12.10.2021 को करवाये गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से हुई। आरोपी श्री रामकिशोर प्रजापत हाल सहायक–द्वितीय फीडर अ.वि.वि.नि. लि. देवरिया, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा को परिवादी पर शंका हो जाने के कारण आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नही की। आरोपी श्री रामकिशोर प्रजापत हाल सहायक–द्वितीय

फीडर अ.वि.वि.नि.लि. देवरिया द्वारा परिवादी शम्भू लाल दमामी से परिवादी की माता के नाम बिजली कनेक्शन की बिल राशि कम करने व खराब मीटर की रिपोर्ट बनाने की एवज में 9000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग करना रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.10.2021 द्वारा प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री रामकिशोर प्रजापत हाल सहायक–द्वितीय फीडर अ.वि.वि.नि.लि. देवरिया, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया पाया जाता हैं।

अतः आरोपी श्री रामकिशोर प्रजापत पुत्र श्री हरबा राम प्रजापत उम्र 31 साल, निवासी 148, मेघवालो का वास, लाई, मेडता, जिला नागौर हाल–सहायक द्वितीय, फीडर, अ.वि.वि.नि.लि. देवरिया, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–द्वितीय।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिव प्रकाश, उप पुलिस अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री राम किशोर प्रजापत, सहायक-द्वितीय फीडर, अ.वि.वि.नि.लि. देवरिया, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 50/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 463-67 दिनांक 16.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता,(परिचालन एवं संधारण)अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, रायपुर भीलवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।

16.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।